न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **226/09 (वाद)**

GCMS No. : 2009/00056

1. श्री गणेशलाल पिता भेरुलाल खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर मृतक के बजाय

1/1 श्री मदनलाल पिता गणेशलाल खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/2 श्री कैलाश पिता गणेशलाल खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री लोगर पिता वगता भील निवासी नाहरमगरा हाल निवासी भानामगरी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
2. श्री वाला पिता वगता भील निवासी नाहरमगरा हाल निवासी भानामगरी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
3. श्री विरमा पिता गमाना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. श्री पुरा पिता गमाना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली मृतक के बजाय

4/1 श्रीमती राधिकी पत्नी पुरा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

4/2 श्री किशनलाल पिता पुरा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

4/3 श्री मदनलाल पिता पुरा भील नाबालिग निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

4/4 श्री कमल पिता पुरा भील नाबालिग निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

4/5 श्री रूपेश पिता पुरा भील नाबालिग निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

4/2, 4/3, 4/4, 4/5 नाबालिग बविलायत माता मु. राधकी बेवा पुरा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली।

5. श्री डालू पिता गमाना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
6. श्री मोहन पिता गमाना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली मृतक के बजाय

6/1 श्रीमती होमली बेवा मोहन भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

6/2 श्री गणेश पिता मोहन भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

6/3 सुश्री कुसबा पिता मोहनलाल भील नाबालिग निवासी नाहरमगरा तहसील मावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

6/2, 6/3 नाबालिग बविलायत माता मु. होमली बेवा मोहन भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

7. मु. भुरकी पुत्री गमाना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
8. श्रीमती मु. जमनी बाई पुत्री गमाना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
9. श्रीमती केसी बेवा गमाना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
10. श्री लखमा पिता उदा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली मृतक के बजाय

10/1 मु. टाकु बेवा लखमा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

10/2 श्री लोगर पिता लखमा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

10/3 श्री प्यारा पिता लखमा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

10/4 श्री खेमा पिता लखमा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

10/5 श्री गोविन्दा पिता लखमा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

11. मोतड़ी पुत्री उदा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
12. अमरी पुत्री उदा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
13. श्री लालू पिता किसना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
14. श्री कालू पिता रामचन्द्र भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
15. राजुड़ी पुत्री किका भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता वादीगण।
2. राजपैरोकार मावली।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 13.05.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नाहरमगरा तहसील मावली में साबीक आराजी संख्या 761/339 कुल रकबा 4 बीघा स्थित था जिसके नये नंबर 910/2047 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा होकर तत्कालीन खातेदार तुलछा पिता किशना था। कहा है कि किशना की देहान्त हो [illegible] लाऔलाद फौत हो गया । उसका खाता वक्ता, गमाना, उदा, [illegible] टाकू, राजुड़ी [illegible] नाम आया। प्रतिवादी संख्या 1 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

13 उनके वारीस तथा प्रतिवादी संख्या 14, 15 हीरा के वारीस बताये । मृतक किसना ने उसके जीवन काल में वर्णित आराजी वादी को 700/– रूपये में विक्रय कर पंजीयन कराया, कब्जा सौप दिया। कहा कि तब से वादी ही काबीज है, काश्त कर रहा है, लगान दे रहा है। जमीन बेचने के बाद तुलछा मर गया बताया। अब प्रतिवादीगण के मन में जो की तुलछा के वारीस है फितुर आजाने से लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं।

2. निवेदन किया कि विवादित जमीन अनुसुचित जन जाति के व्यक्ति की है और खरीददार अनुसुचित जाति का है। इसलिये जमीन वादी के खाते नहीं हुई। किन्तु विक्रय सन् 1968 में हुआ है जिसे 34 वर्ष से भी अधिक समय हो जाना कहते हुए कहा है कि वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार हो गया हैं।

3. अंत में निवेदन किया कि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने जवाब दावा पेश कर कहा कि मृतक किशना द्वारा दिनांक 28.6.68 को जमीन बेचना व कब्जा सिपुर्द कर देना, वादी द्वारा काश्त करना, लगान जमा कराना, वादी का कब्जा होना गलत है। यह भी कहा कि कानूनन अनुसुचित जन जाति के व्यक्ति की जमीन को अनुसुचित जाति का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है । ऐसा बिकाव शुन्य प्रभावी कहते हुए वादी का वाद अस्वीकार किया । अन्य प्रतिवादिगण ने इकबालीया जवाब दावा पेश किया।

5. प्रकरण में न्याय निर्णय हेतु निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

   1. आया वादी वाद वर्णित भूमि वादी ने प्रतिवादीगण के पूर्वज तत्कालीन खातेदार तुलछा भील से 28.06.68 को खरीद कर विक्रय पत्र पंजीयन कराया और क्या तब से ही वादी इस भूमि पर निरन्तर काबीज है। ....जिम्मे वादी
   2. आया विवादित जमीन अनुसूचित जन जाति के खातेदारी की होने से और वादी के अनु० जाति का व्यक्ति होने से वादी के खाते नहीं हुई और अब 34 वर्ष से भी अधिक समय हो जाने से वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी है। .... जिम्मे प्रतिवादी

दिनांक 24.3.06 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से आर्डर 23 नियम 3 जा.दी. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि इस प्रकरण पर पक्षकारों ने राजीनामा कर लिया है कब्जा वादी का ही होना स्वीकार किया । उपरोक्त तनकीयात कायमी के पश्चात वादी के पक्ष की साक्ष्य प्रारम्भ की गई। वादी स्वयं पीडबल्यू–1, गवाह अर्जुन लाल पीडबल्यू–2, अर्जुन लाल पीडबल्यू–3, [illegible] पीडबल्यू–4 रोड़ा पीडबल्यू–5 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

बयान कराये गये। इसके पश्चात अधिवक्ता पक्षकारों की बहस सुनी जाकर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.05.2006 को निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय की अपील श्रीमान न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में की गई। श्रीमान न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा दिनांक 30.06.2009 को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2006 निरस्त किया जाकर इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि तनकी नम्बर 2 पर विस्तृत साक्ष्य लेवे कि '' क्या अपीलार्थी के विरूद्ध पिछले 34 वर्षो में कभी भी भूमिधारी की तरफ से धारा 175 में कब्जा हटाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण वादी का निरन्तर 34 वर्षो से बिना किसी व्यवधान के कृषि कब्जा होने से एडवर्स पजेशन से ही अपीलार्थी विवादित भूमि का खातेदार हो गया है तथा भूमि धारा 42 के उल्लंघन में खरीदने से एवं विक्रेता लाऔलाद फौत हो जाने अथवा वंश परिवार के लोगों द्वारा भी भूमि के विक्रय हस्तारन्तरण को स्वीकार कर लेने के कारण भूमि खरीदने की तिथि से ही बिलानाम हो गयी है एवं बिलानाम भूमि पर 34 वर्षो से प्रतिकुल कब्जे के कारण अपीलार्थी खातेदार हो गया है।'' इस तनकी पर विस्तृत गवाह लेकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

6. प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। गवाह रोडा पीडबल्यू–6, रूपलाल पीडबल्यू–7, अर्जुनलाल पीडबल्यू–8 के बयान करवाए गए। साक्ष्यप्रतिवादी का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी गवाह प्रस्तुत नही करने पर साक्ष्यप्रतिवादी का अवसर बंद किया गया।

7. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली के तथ्यो व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली पर आयी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवाद्यक 1, 2 का भार वादीगण पर है। दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विश्लेषण इस प्रकार है किः–

   1. आया वादी वाद वर्णित भूमि वादी ने प्रतिवादीगण के पूर्वज तत्कालीन खातेदार तुलछा भील से 28.06.68 को खरीद कर विक्रय पत्र पंजीयन कराया और क्या तब से ही वादी इस भूमि पर निरन्तर काबीज है। .....जिम्मे वादी

      उक्त तनकी का भार वादीगण पर है। वादीगण ने नकल जमाबन्दी सवत 2055 से 2058 की प्रति पेश की। जिसके अनुसार भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। नकल नामान्तरकरण संख्या 2865 की प्र. लिपि की अप्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

2 पेश की। जिसके अनुसार खातेदार तुलछा की विरासत दर्ज हुई है। दस्तावेज प्रदर्श 3 ए सेटलमेंट पर्चा लगान की प्रतिलिपि की प्रतिलिपी पेश की है। इसके अनुसार भूमि तुलछा भील के नाम दर्ज रही है। दस्तावेज प्रदर्श 4 ए तुलछा भील द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादन कराये गये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 28.8.68 की अप्रामाणित प्रति पेश की है। अन्य कोई दस्तावेज वादी पक्ष की ओर से पेश नहीं हुए। वादी की जाति खटीक है। तुलछा जिससे जमीन खरीदी वह गमेती है। स्वीकार किया की भील व गमेती एक ही है। स्टाम्प में भील लिख रखा है। यह भी स्वीकार किया कि जमीन के चारों पड़ौस में उत्तर दिशा के अलावा पड़ोस नहीं जानता। अन्य मौखीक गवाहों ने कब्जा वादी का ही होना कहा है। वादी ने लम्बी अवधि का कब्जा होना तो कहा है परन्तु इतने लम्बे समय के कब्जे के प्रमाण स्वरुप कोई लगान की रसीद आदि पेश नहीं की है। प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.8.68 के अनुसार वादी का कहना है कि तब आराजी नंबर 761/339 उसने तुलछा से खरीदी थी। हाल एवं साबिक आराजी नम्बर का भी मिलान नही हो रहा है। परन्तु यह मान लिया जावे कि तुलछा भील ने वाद वर्णित भूमि ही वादी को विक्रय की तो भी यह तो निर्विवाद रुप से स्पष्ट है ही कि विक्रेता तुलछा भील अनुसुचित जन जाति का व्यक्ति है और खरीददार अनुसुचित जाति का है। वादी ने अपनी जिरह में भी स्वयं की जाति खटीक व विक्रेता की जाति भील होना स्वीकार किया है। चूंकि भूमि अनुसुचित जन जाति के व्यक्ति की थी और वादी क्रेता गैर अनुसुचीत जन जाति का व्यक्ति है तो फिर सीधे सीधे तौर पर यह धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रावधानों का उल्लघंन कर पंजीयन कराया गया है। ऐसे में विक्रय पत्र प्रारंभ से ही बेअसर शुन्य प्रभावी है। इस प्रकार यह तथ्य तो निर्विवादित है कि वादीगण को क्रय के आधार पर खातेदार घोषित नही किया जा सकता है।

प्रकरण में श्रीमान न्यायालय भू–प्रबंध विभाग द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रकरण में इस बिन्दु को भी निस्तारित किया जावे की क्या 1968 से ही अपीलार्थी का इस भूमि पर कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है? तथा भूमिधारी तहसीलदार ने कभी धारा 175 में कार्यवाही करके भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाही की है। इस संबंध में प्रकरण में वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह प्रतित होता हो कि वादग्रस्त भूमि कब्जा वादीगण का ही हो, परन्तु साक्ष्यवादी गवाह द्वारा मौखिक साक्ष्यो में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वादीगण का ही माना है। गवाह इब्ल्यू 6, 7 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा वादीगण का 35–40 वर्षो से बताया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार ने कभी धारा 175 में कार्यवाही करके भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाही की हो। इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण/राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी वादीगण के विरूद्ध सिद्ध की जाती है।

2. आया विवादित जमीन अनुसूचित जन जाति के खातेदारी की होने से और वादी के अनु० जाति का व्यक्ति होने से वादी के खाते नहीं हुई और अब 34 वर्ष से भी अधिक समय हो जाने से वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी है । ..... जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी को भारी वादी पर है। वादी स्वयं ने वाद पत्र की कलम संख्या 5 पर कथन किया है कि विक्रेता अनुसुचित जन जाति का व्यक्ति है। जमीन अनुसुचित जन जाति के व्यक्ति की है और खरीददार अनुसुचित जाति का है। इसलिये वादी के खाते जमीन नहीं हुई है। यहां यह पाया गया है कि वादी स्वयं इस बात को समझता है व स्वीकार करके आया है कि विवादित जमीन उसने जो खरीदी है वह खाते में दर्ज नहीं हो सकती है। इसमें नियम बाधक है। वादी कहता है कि अब चूंकि जमीन खरीदे हुए 34 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है और भूमिधारी ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की हैं। वैसे यहां यह भी मान लिया जावे की उक्त भूमि धारा 42 के उल्लंघन में खरीदने से एवं विक्रेता लाऔलाद फौत हो जाने अथवा वंश परिवार के लोगों द्वारा भी भूमि के विक्रय हस्तान्तरण को स्वीकार कर लेने के कारण भूमि खरीदने की तिथि से ही बिलानाम हो गयी है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि बिलानाम भूमि पर भी प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का कोई प्रावधान नही है। **कानून की स्थिति स्पष्ट है कि प्रतिकूल/पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं, केवल धारा 63(1)(4) के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के ही प्रावधान हैं। RRT 2011 पेज 721 के वृहत पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान हीं नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं माना है। स्पष्टतया माननीय**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं। इस प्रकार भूमि धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करके बेची खरीदी गयी है। यदि प्रतिवादी पक्ष ने वादी के पक्ष में राजीनामा लिख कर भी दिया है, वादी का वाद स्वीकार कर भी लिया है तो ऐसे राजीनामें का जो विधि विरुद्ध हो विधि से बाधित हो, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करके राजीनामा कर लिया गया हो तो ऐसे राजीनामें को स्वीकार करने के लिये न्यायालय बाध्य नहीं है । उपयुक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की तुलछा भील द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादन कराये गये अप्रमाणित रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 28.8.68 की प्रति अनुसार वादग्रस्त भूमि दस्तावेज निष्पादन करवाया गया। परन्तु धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रावधानों का उल्लघंन कर पंजीयन कराया गया है। ऐसे में विक्रय पत्र प्रारंभ से ही बेअसर शुन्य प्रभावी है। यदि उक्त विक्रय दिनांक से वादग्रस्त भूमि को बिलानाम मान लिया जाता है। तो भी तनकी संख्या 2 के विवेचन में उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत के आधार पर प्रतिकुल कब्जे के आधार खातेदारी अधिकार देने का कोई प्रावधान नही है। अतः वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 एवं तनकी संख्या 2 में उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत के आधार पर खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6—7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री गणेशलाल पिता भेरुलाल खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर मृतक के बजाय

1/1 श्री मदनलाल पिता गणेशलाल खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/2 श्री कैलाश पिता गणेशलाल खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

...........वादीगण

बनाम

1. श्री लोगर पिता वगता भील निवासी नाहरमगरा हाल निवासी भानामगरी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
2. श्री वाला पिता वगता भील निवासी नाहरमगरा हाल निवासी भानामगरी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
3. श्री विरमा पिता गमाना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. श्री पुरा पिता गमाना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली मृतक के बजाय

4/1 श्रीमती राधिकी पत्नी पुरा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

4/2 श्री किशनलाल पिता पुरा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

4/3 श्री मदनलाल पिता पुरा भील नाबालिग निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

4/4 श्री कमल पिता पुरा भील नाबालिग निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

4/5 श्री रूपेश पिता पुरा भील नाबालिग निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

4/2, 4/3, 4/4, 4/5 नाबालिग बविलायत माता मु. राधकी बेवा पुरा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली।

5. श्री डालू पिता गमाना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
6. श्री मोहन पिता गमाना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली मृतक के बजाय

6/1 श्रीमती होमली बेवा मोहन भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

6/2 श्री गणेश पिता मोहन भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

6/3 सुश्री कुसबा पिता मोहनलाल भील नाबालिग निवासी नाहरमगरा तहसील मावली।

6/2, 6/3 नाबालिग बविलायत माता होमली बेवा मोहन भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

7. मु. भुरकी पुत्री गमाना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
8. श्रीमती मु. जमनी बाई पुत्री गमाना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
9. श्रीमती केसी बेवा गमाना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
10. श्री लखमा पिता उदा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली मृतक के बजाय

10/1 मु. टाकु बेवा लखमा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

10/2 श्री लोगर पिता लखमा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

10/3 श्री प्यारा पिता लखमा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

10/4 श्री खेमा पिता लखमा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

10/5 श्री गोविन्दा पिता लखमा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

11. मोतड़ी पुत्री उदा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
12. अमरी पुत्री उदा भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
13. श्री लालू पिता किसना भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
14. श्री कालू पिता रामचन्द्र भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
15. राजुड़ी पुत्री किका भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 226/09 (वाद) GCMS No. – 2009/00056

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested